फाइल संख्या: 26-11/52/2023-एनए-डीजीएस

दिनांक: 05.12.2023

नौमनि आदेश संख्या: 19/2023

विषय: बहुत-तेज़ गति वाले क्राफ्टों के लिए सुरक्षा हेतु अन्तर्राष्ट्रीय संहिता और इसकी प्रयोज्यता – संबंधी।

जबकि, भारत सरकार ने समुद्र में जीवन रक्षा हेतु अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेन्शन, 1974 का अनुसमर्थन किया है, और कन्वेन्शन परिग्रहण के माध्यम से दिनांक 25 मई 1980 से प्रवृत्त है। 1988 के प्रोटोकॉल द्वारा आशोधित कन्वेन्शन परिग्रहण के माध्यम से दिनांक 22 नवंबर 2000 से प्रवृत्त हुआ। कन्वेन्शन के अनुच्छेद 1 में सरकार की यह सामान्य बाध्यकारिता संबंधी अनिवार्यता है कि वह कन्वेन्शन को प्रवृत्त करने के लिए हर वह उपाय करेगी जो आवश्यक हो।

जबकि, कन्वेन्शन को यथा संशोधि त वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 में शामिल किया गया ओर इसे धारा 3 (37) में "सुरक्षा कन्वेन्शन" के रूप में परिभाषित किया गया जिसका अर्थ है कि समय-समय पर यथा संशोधि त रूप में दिनांक 1 नवंबर, 1974 को लंदन में हस्ताक्षरित जीवन की रक्षा हेतु कन्वेन्शन।

जबकि, प्रोटोकॉल 1988 द्वारा आशोधि त रूप में समुद्र में जीवन रक्षा हेतु अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेन्शन, 1974 के अध्याय 10 में यह अनिवार्यता है, बहुत-तेज गति वाले क्राफ्टों के लिए सुरक्षा हेतु अन्तर्राष्ट्रीय संहिता, जिसमें निर्माण हेतु मानक दिए गए हों, अधिक तेज गति से चलने वाले यात्री और कार्गो क्राफ्टों हेतु सर्वेक्षण और प्रमाणन की अपेक्षाएं दी गई हों।

जबकि, यह ध्यान में रखा जाए कि सरकार आज तक अधि क-तेज गति से चलने वाले यात्री क्राफ्टों के सर्वेक्षण और प्रमाणन करवाने हेतु अनुदेश देती रही है। संहिता में दिए अनुसार, 'प्रशासन की संतुष्टि' के पहलू पर हर विशि ष्ट स्पष्टीकरण निदेशालय के संबंधित तकनीकी स्कंध से मांगा जाएगा।

जबकि, दिनांक 26 दिसंबर 2014 की अधिसूचना के माध्यम से मान्यता प्राप्त संगठनों (आरओ) को दर्शाए अनुसार अधिसूचित किया गया था, प्रत्येक आरओ के साथ एक समझौता किया गया है कि वह अधिक तेज गति वाले क्राफ्टों के सर्वेक्षण और प्रमाणन करेगा।

...2

इस बात को ध्यान में रखते हुए, आईएमओ ने एचएससी संहिता 1994 और एचएससी संहिता 2020 में समय-समय पर कई संशोधन जारी किए हैं, जो कि इस आदेश् के अनुलग्नक-1 पर संलग्न हैं। वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम में यथा परिभाषि त रूप से सोलास कन्वेन्शन में ऐसे संशोधन पहले ही किए जा चुके हैं और ये भारतीय जलयानों पर लागू हैं।

इसलिए हितधारियों से अपेक्षा है कि वे समुद्र में जीवन रक्षा हेतु अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेन्शन को पूरी तरह से प्रवृत्त करने के लिए अधि क तेज गति वाले क्राफ्टों हेतु अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा संहिता 1994 और 2000 के प्रावधानों के अनुपालन हेतु इस आदेश से मार्गदर्शन प्राप्त करें। अधिक तेज गति वाले यात्री और कार्गो क्राफ्टों हेतु निर्माण, सर्वेक्षण और प्रमाणन अपेक्षाओं हेतु विस्तृत मार्गदर्शन के लिए अनुपालन हेतु ये अनुलग्नक-2 पर संलग्न हैं।

(श्याम जगन्नाथन)
नौवहन महानिदेशक

सेवा में,
नौमनि की वैबसाइट के माध्यम से समस्त हितधारी

(अस्वीकरण- हिंदी या अंग्रेजी पाठ में असमानता होने या कानूनी विवाद की स्थिति में मूल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।)